कार्यालय परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्रमांक 195/टीसी / 2014	टीसी कैम्प,भोपाल,दिनांक07/10//५
प्रति,	
क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी	
मध्यप्रदेश	
विषय:—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2014	4
विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान से प्रभावी हो गया है, संलग्न छायाप्रति। जिस अनुसार मोटर संक्षेपीकरण एवं युक्तियुक्तकरण किया गया है।	(संशोधन) अध्यादेश, 2014 दिनांक 01:10.2014 रयान कर की दरों का पुनरीक्षण, सरलीकरण,
निर्देशित किया जाता है कि कराधान (संशोधन) अध्य उदग्रहण सुनिश्चित किया जावें।	ादेश,2014 अनुसार मोटरयान कर की दरों का
संलग्नः—उपरोक्तानुसार	मरिवहन आयुक्त
पृष्ठांकन क्रमांक <u>19 5</u> / टीसी / 2014 टीस	नध्यप्रदेश ती कैम्प भोपाल,दिनांक
प्रतिलिपि:—) }},,,,,,
01. निज सहायक, माननीय परिवहन मंत्री,म.प्र.शासन,१ 02. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,परिवहन विभाग,मंत्रालय व 03. अपर परिवहन आयुक्त(प्रशा. / प्रर्व.) मध्यप्रदेश ग्वा कार्यवाही हेतु।	ाल्लभ भवन,भोपाल।
04. समस्त संभागीय उप परिवहन आयुक्त 05. प्रभारी,मेसर्स स्मार्ट चिप इण्डिया, कंपनी लिमिटेड कि कृपया उपरोक्त संशोधन अनुसार साफ्टवेयर	, कार्यालय भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है

मध्यप्रदेश

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 469]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2014-आश्विन 9, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2014

क्र. 258-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ६ सन् २०१४

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४

[''मध्यप्ररदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १ अक्टूबर, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. २५ सन् १९९१ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना. २. इस अध्यादेश के प्रवर्तन की कालाविध के दौरान, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्र. २५ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची एवं तृतीय अनुसूची का स्थापन ३. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची एवं तृतीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''प्रथम अनुसूची [धारा ३ की उपधारा (१) देखिए]

मोटरयान का वर्ग . (१)	मोटरयानों के लिए कर की दर (रुपयों में) (२)
(एक)मोटर साइकिल—	९० प्रति तिमाही
(दो) मोटरयान	
(क) जिनकी बैठक क्षमता ३+१ से अधिक नहीं है	९० प्रति सीट प्रति तिमाही
(ख) जिनकी बैठक क्षमता ३+१ से अधिक ६+१ तक है	३०० प्रति सीट प्रति तिमाही
(ग) जिनकी बैठक क्षमता ६+१ से अधिक १२+१ तक है	४५० प्रति सीट प्रति तिमाही
(तीन)अशक्त यात्री गाड़ी (विनिर्माताओं द्वारा बनाई गई)	९ प्रति तिमाही

६० प्रति सीट प्रतिमाह या उसके

भाग के लिए.

(?) (8) (चार)लोक सेवा यान-१३+१ या इससे अधिक यात्रियों को बैठाने के लिए अनुज्ञात यान तथा जो किराए (१) या पारिश्रमिक (रिवार्ड) पर मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी (कांट्रेक्ट कैरेज) के रूप में चलाया जा रहा हो. ९० प्रति सीट प्रति तिमाही शहरी मार्गों पर नगर सेवा/सिटी बस के रूप में चलाए जाने के लिए (क) शहरी मार्गों से लगे हुए क्षेत्रों में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित १५० प्रति सीट प्रति तिमाही (멸) १३+१ या अधिक यात्रियों को बैठाने के लिए अनुज्ञात यान तथा जो अतिरिक्त/ १८० प्रति सीट प्रतिमाह (२) आरक्षित यान के रूप में रखा गया है. शहरी मार्गों से भिन्न मार्गों पर मंजिली गाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात (**ξ**) यान और जहां कि एक दिन में तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी-१८० प्रति सीट प्रतिमाह १०० कि.मी. से अधिक नहीं है (क) तत्पश्चात् प्रत्येक १० कि.मी. या उसके भाग के लिए रुपए १२ प्रति सीट प्रतिमाह (ख) यदि यान पट्टा करार (लीज एग्रीमेंट) के अधीन है और यह मंजिली गाड़ी के उद्ग्रहीत कर के अतिरिक्त २०% (8) रूप में संचालित है. (५) (क) अंतर्राज्यीय मार्गों पर पारस्परिक करार के अधीन चलाए जाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यान— प्रत्येक १० कि.मी. या उसके भाग साधारण बस के लिए (एक) के लिए रुपए १२ प्रति सीट प्रतिमाह. प्रत्येक १० कि.मी. या उसके भाग (दो) साधारण बस से भिन्न के लिए के लिए रुपए १५ प्रति सीट प्रतिमाह. अंतर्राज्यीय मार्गों पर पारस्परिक करार के बिना चलाए जाने के लिए अनुज्ञात अन्य ऊपर (क) (एक) और (दो) (ख) में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त रुपये

ठेका गाड़ी यान- (ξ)

राज्य के यान

राज्य के भीतर ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात यान जिनकी रुपए ६०० प्रति सीट प्रतिमाह (क) बैठक क्षमता १३+१ या अधिक है.

(१)

(ख) ऐसे यान, जिनकी बैठक क्षमता १३+१ या अधिक है और जो मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा ८८ की उपधारा (९) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए ''आल इंडिया टूरिस्ट परिमट'' के अंतर्गत ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिए अनुजात हैं. रुपए ७०० प्रति सीट प्रतिमाह

(ग) ऐसे यान, जिनकी बैठक क्षमता १३+१ या अधिक है और जो मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा ८८ की उपधारा (८) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए विशेष अनुज्ञा-पत्र पर ठेके पर चलाए जा रहे हैं.

रुपए १८० प्रति सीट प्रतिमाह + अतिरिक्त/आरक्षित मोटरयान कर.

- (घ) ऐसा यान, जो मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा ८८ की उपधारा (९) के अधीन अन्य राज्य द्वारा जारी किए गए ''आल इंडिया टूरिस्ट परिमट'' या धारा ८८ की उपधारा (८) के अधीन जारी किए गए विशेष अनुज्ञा पत्र के अंतर्गत ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात है—
 - (एक) बैठक क्षमता १२+१ तक

रुपए ५० प्रति सीट प्रति दिन

(दो) बैठक क्षमता १३+१ या अधिक

रुपए २०० प्रति सीट प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिए.

- (ङ) ऐसे यान, जो मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा ८७(१) (क) के अधीन दिए गए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पर ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं—
 - (एक) यदि अनुज्ञापत्र मध्यप्रदेश राज्य द्वारा दिया गया है.

रुपए १२ प्रति सीट प्रति दिन + अतिरिक्त/आरक्षित यान कर.

(दो) यदि अनुज्ञापत्र अन्य राज्य द्वारा दिया गया है.

रुपए ५० प्रति सीट प्रति दिन

(७) ग्रामीण सेवा यान जिनकी बैठक क्षमता ३+१ से ७+१ तक है और जो ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए दिए गए नियमित अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आते हैं.

ग्रामीण अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता तक यान के मानक मूल्य का १ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण १.—यात्रियों की ऐसी संख्या में, जिन्हें ले जाने के लिए यान अनुज्ञात है, ऐसे यान का चालक और परिचालक सम्मिलित नहीं हैं और यात्रियों की संख्या उतनी होगी जितनी कि मोटरयान अनुज्ञापत्र द्वारा ले जाने के लिए प्राधिकृत है.

स्पष्टीकरण २.—प्रथम अनुसूची की मद एक, दो और तीन में विनिर्दिष्ट कर केवल ऐसे यान के लिए होंगे जो कि मध्यप्रदेश राज्य में अस्थायी रजिस्ट्रीकरण/अस्थायी उपयोग के अधीन हैं.

स्पष्टीकरण ३.—ऐसे यान द्वारा एक दिन में तय की जाने वाली अनुज्ञात दूरी, जिसके संबंध में मोटरयान अधिनियम, १९८८ के अधीन अनुज्ञापत्र दिया गया है, वह दूरी होगी, जो मध्यप्रदेश में अनुज्ञापत्र के अनुसार तय किए जाने के लिए प्राधिकृत है.

स्पष्टीकरण ४.—ऐसे यानों को, जो नियमित ग्रामीण अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आते हैं, किसी और कर का भुगतान नहीं करना होगा, यदि वे अपना ग्रामीण अनुज्ञापत्र समुचित समय में नवीकृत करा लेते हैं. यदि वे ग्रामीण मार्ग से भिन्न मार्ग पर यान चलाना चाहते हैं, तो उस श्रेणी के यान के लिए द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर तथा पूर्व में संदत्त कर का अन्तर उद्ग्रहणीय होगा.

(२) (१)

(पांच) माल वाहन-

- ऐसे मालयान पर, जो मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ के (१) प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत था और जिसका रजिस्ट्रीकृत लदान भार ५००० किलोग्राम या कम है, कर, द्वितीय अनुसूची की मद ६ के अनुसार होगा.
- ऐसे मालयान पर, जो मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ के (२) प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत था और जिसका रजिस्ट्रीकृत लदान भार ५००० किलोग्राम से अधिक है, कर,-
 - ५००० किलोग्राम से अधिक किन्तु ६००० किलोग्राम से अधिक नहीं है. (क)

रुपए ६००० प्रति वर्ष

तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए (ख)

रुपए १००० प्रति वर्ष

- अन्य राज्यों के मालयान जिनका रजिस्ट्रीकृत लदान भार-(3)
 - ५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है (क)

रुपए ४२०० प्रति वर्ष

५००० किलोग्राम से अधिक किन्तु ६००० किलोग्राम से अधिक नहीं है. (ख)

रुपए ६००० प्रति वर्ष

तत्पश्चात प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए (刊)

रुपए १००० प्रति वर्ष

स्पष्टीकरण १.—अन्य राज्यों के मालयानों के संबंध में, जो उस राज्य द्वारा जारी किए गए और मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्र के तहत् चलाए जा रहे हैं, कर का भुगतान ऊपर खण्ड (३) में विनिर्दिष्ट दर के पचासी प्रतिशत की दर से किया जाएगा.

स्पष्टीकरण २.—अन्य राज्यों के मालयानों के संबंध में, जो एक मास से अनिधक की कालाविध के अस्थायी अनजापत्र के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में चलाया जा रहा है, कर की दर ऊपर खण्ड (३) में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिवर्ष देय कर का १/१२ भाग होगी.

स्पष्टीकरण ३.—मध्यप्रदेश राज्य में अस्थायी उपयोग के लिए लाए गए अन्य राज्यों के यानों पर कर इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट श्रेणी के अनुसार उद्ग्रहणीय होगा. यदि अन्य राज्यों के यान की कुछ श्रेणियों के लिए उद्ग्रहणीय कर इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, तब कर इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश के समान श्रेणी के यान की श्रेणी तथा दर के अनुसार उद्ग्रहणीय होगा.

(छह) निजी सेवा यान जिनकी बैठक क्षमता १२+१ से अधिक हो.

रुपए ४८० प्रति सीट प्रति तिमाही

(सात) शैक्षणिक संस्था बस

रुपए १२ प्रति सीट प्रति वर्ष

(आठ) अन्य यान-

(१) (क) ऐसे यान जो व्यावसायिक प्रमाण-पत्र (जैसे चेसिस/मालयान) या अस्थायी रजिस्ट्रीकरण रुपए ६०० प्रति तिमाही के अंतर्गत आते हैं और जिनका लादान रहित वजन ५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.

, , , ,	
(१)	(२)
(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.	रुपए ३००.०० प्रति तिमाही
(२) ऐसे यान जो मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ के प्रारंभ के पूर्व रिजस्ट्रीकृत हैं, इस अनुसूची की किसी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं—	
(क) ऐसे यान जिनका लदान रहित वजन ३००० किलोग्राम तक है.	रुपए ६०००.०० प्रति वर्ष
(ख) े तत्पश्चात् प्रत्येक ३००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.	रुपए २४००.०० प्रति वर्ष
''द्वितीय अनुसूची [धारा ३ की उपधारा (१) का प्रथम परन्तुक देखिए]	
मोटरयानों का विवरण	जीवनकाल कर की दर
(8)	(२) यान के मानक मूल्य का ७%
 (क) मोटर साइिकल संलग्नकों (अटैचमेंट) सिहत या रिहत. 	यान के मानक मूल्य का ७%
(ख) बैटरी / सीएनजी / एल.पी.जी. द्वारा चिलत मोटरसाइकिलें—	यान के मानक मूल्य का ५%
, मोटर कार / मोटर कैब (जिनमें अशक्त यात्री गाड़ी सम्मिलित हैं)—जिनका मानक मूल्य—	
(१) रुपए १५.०० लाख तक—	
(क) पेट्रोल अथवा डीजल चिलत	यान के मानक मूल्य का ७९
(ख) हायब्रिड यान	यान के मानक मूल्य का ६९
(ग) बैटरी / सीएनजी / एल.पी.जी. / चितत	यान के मानक मूल्य का ५९
(२) रुपए १५.०० लाख से अधिक—	
(क) पेट्रोल अथवा डीजल चिलत	यान के मानक मूल्य का ८१
(ख) हायब्रिड यान	यान के मानक मूल्य का ६
(ग) बैटरी / सीएनजी / एल.पी.जी. / चिलत	यान के मानक मूल्य का ५
. मोटरयान जिसकी बैठक क्षमता ६+१ से अधिक तथा १२+१ तक है (निजी उपयोग हेतु अथवा वाणिज्यिक उपयोग हेतु)—	
(क) पेट्रोल अथवा डीजल चलित	यान के मानक मूल्य का ८
(ख) हायब्रिड यान	यान के मानक मूल्य का ६
(ग) बैटरी / सीएनजी / एल.पी.जी. / चिलत	यान के मानक मूल्य का ५

	(१)	(२)
٧.	अशक्त यात्री गाड़ी (मोटरसाइकिल)	३६० रुपए
ч.	मोटर यान जिनकी बैठक क्षमता ३+१ है—	
	(क) पेट्रोल अथवा डीजल द्वारा चिलत	यान के मानक मूल्य का ७%
	(ख) हायब्रिड यान	यान के मानक मूल्य का ६%
	(ग) बैटरी / सीएनजी / एल.पी.जी. / चलित	यान के मानक मूल्य का ५%

६. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ के प्रारंभ होने के पूर्व परिवहन यान के रूप में रिजस्ट्रीकृत ऐसे यान जो त्रैमासिक / मासिक मोटरयान कर का भुगतान कर रहे हैं और जिनकी बैठक क्षमता ३+१ और १२+१ के बीच है, के लिए जीवनकाल कर की दर निम्नानुसार होगी:—

(१)	(7)	(
वाहन का प्रकार	मध्यप्रदेश मोटरयान	मध्यप्रदेश मोटरयान
	कराधान (संशोधन)	कंराधान (संशोधन)
•	अध्यादेश, २०१४ के	अध्यादेश, २०१४ के
	प्रारंभ होने की तारीख	प्रारंभ होने की तारीख
	को तीन वर्ष तक	को तीन वर्ष से अधिक
	पुराने रजिस्ट्रीकृत यान	पुराने रजिस्ट्रीकृत यान
(क) बैठक क्षमता ३+१ तक(ख) बैठक क्षमता ३+१ से अधिक तथा ६+१ तक.		यान के मानक मूल्य का २% यान के मानक मूल्य का ३%
(ग) बैठक क्षमता ६+१ से अधिक तथा १२+१ तक.	यान के मानक मूल्य का ५%	यान के मानक मूल्य का ४%
· ·	ा लदान भार ५००० किलोग्राम या कम है त' ध्यादेश, २०१४ के प्रारंभ होने के पूर्व (होगी:—	

- (क) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख को तीन यान के मानक मूल्य का ४% वर्ष तक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान.
 - (ख) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख को तीन यान के मानक मूल्य का ३% वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान.

८. मालयान—

(क) चेसिस

मानक मूल्य का ७%

(ख) निर्माता द्वारा निर्मित बॉडी युक्त

मानक मूल्य का ६%

(२) (१) इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों के किसी भी वर्ग के अंतर्गत न आने वाले ऐसे समस्त अन्य मानक मूल्य का ६% नवीन मोटरयान. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों के किसी भी वर्ग के अंतर्गत न आने वाले तथा मध्यप्रदेश १०. मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ के प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत ऐसे समस्त मोटरयानों के लिए जीवनकाल कर की दर निम्नानुसार होगी:--

(क) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख को तीन वाहन के मानक मूल्य का ४% वर्ष तक के पुराने रजिस्ट्रीकृत यान.

(ख) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख को तीन वाहन के मानक मूल्य का ३% वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान.

स्पष्टीकरण १.—खण्ड ६, ७ एवं १० के अधीन जीवनकाल कर जमा करने की तारीख को ऐसे वाहन पर कोई कर बकाया नहीं होना चाहिए. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख़ से ऐसे वर्ग के यान को मासिक/त्रैमासिक कर भुगतान करने से वर्जित होंगे.

स्पष्टीकरण २.—यान के मानक मूल्य से अभिप्रेत है रिजस्ट्रीकरण के समय व्यापारी द्वारा वसूल किया गया मानक मूल्य या उस समय परिवहन विभाग द्वारा निश्चित् किया गया उक्त यान का मानक मूल्य, जो भी उच्च हो.

स्पष्टीकरण ३.-यानों के उपरोक्त वर्ग के मानक मूल्य के आधार पर जीवनकाल कर की संगणना करने के लिए यान स्वामी से यह अपेक्षा की जाएगी की वह रजिस्ट्रीकरण के समय व्यापारी द्वारा जारी की गई विक्रय रसीद प्रस्तुत करें. यान का मानक मूल्य मध्यप्रदेश में देय मानक मूल्य होगा.

स्पष्टीकरण ४. -- एबैटरी/सीएनजी/एल.पी.जी. चिलत यानों के संबंध में कर की दर केवल तभी देय होगी जबकि ऐसा यान निर्माता द्वारा ही इस प्रकार निर्मित किया गया है.

स्पष्टीकरण ५. - हायब्रिड यान ऐसा यान है जो कि यान को चलाने के लिए दो या अधिक भिन्न स्रोतों का उपयोग करता है. जिनमें से एक सीएनजी/एल.पी.जी./एनएलजी या बैटरी होना चाहिए.

तृतीय अनुसूची (धारा ४ देखिए)

यान का वर्ग	नगर निगम के भीतर स्थित निर्माता या व्यापारी	नगर निगम से भिन्न क्षेत्र के भीतर स्थित निर्माता या व्यापारी
(१)	·(२)	(3)
ं १. मोटर साइकिल / दो पहिया	रुपंए १०००० प्रतिवर्ष	रुपए ६००० प्रतिवर्ष
२. कोई अन्य यान	रुपए १८००० प्रतिवर्ष	रुपए १२००० प्रतिवर्ष

रामनरेश यादव

राज्यपाल,

मध्यप्रदेश.

भोपाल :

तारीख : १ अक्टूबर, सन् २०१४.

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर, 2014

क्र. 259-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 6, सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 6 of 2014

THE MADHYA PRADESH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2014

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1st October, 2014].

Promulgated by the Governor in the sixty-fifth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiuiyam, 1991.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

- 1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Short title. Adhyadesh, 2014.
- 2. During the period of operation of this Ordinance the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3.

 Madhya Pradesh Act No. 25 of 1991 to be temporarily amended.
- 3. For the First Schedule, Second Schedule and Third Schedule to the principal Act, the Substitution First Sched Schedules shall be substituted, namely:—

 Substitution First Schedule Schedules Sch

Substitution of First Schedule, Second Schedule and Third Schedule.

"FIRST SCHEDULE [See sub-section (1) of Section 3]

	Class of Motor Vehicle	Rate of tax for Motor Vehicles (In rupees)	
	(1)	(2)	
I. M	OTOR CYCLE	90 per quarter	
II. M	OTOR VEHICLE		
· (a) Seating capacity not more than 3+1	90 per seat per quarter	
(b	Seating capacity more than 3+1 upto 6+1	300 per seat per quarter	
(c	Seating capacity more than 6+1 upto 12+1	450 per seat per quarter	

	(1)	(2)
III. INVAI	LID CARRIAGE (made by the manufacturers)	Rs. 9 per quarter
IV. PUBL	IC SERVICE-VEHICLE	
(1)	Vehicle permitted to carry 13+1 passengers or more and plying as stage/ contract carriage for hire or reward:—	
(a)	On city routes plying as a Nagar Sewa / City Bus	90 per seat per quarter
(b)	In areas adjacent to city routes as notified by the State Government	150 per seat per quarter
(2)	Vehicle permitted to carry 13+1 passengers or more kept as spare/reserve vehicle	180 per seat per month
(3)	Vehicle permitted to ply as a stage carriage on routes other than city routes and where the permitted distance covered in a day—	. *
(a)	does not exceed 100 km	180 per seat per month
(b)	thereafter for every 10 km or part thereof	Rs. 12 per seat per month
(4)	If the vehicle is under lease agreement and it operates as stage carriage.	20% in addition to the levied tax.
(5) (a)	Vehicles of other State permitted to ply under Reciprocal Agreement on inter-state routes—	
(i)	For Ordinary Bus	Rs. 12 for each 10 km or part thereof per seat per month.
(ii)	For Other than Ordinary Bus	Rs. 15 for each 10 km or part thereof per seat per month.
(b)	Vehicles of other State permitted to ply without reciprocal agreement on interstate route.	Rs. 60 per seat per month or part thereof in addition to tax specified in (a) (i) and (ii) above
(6)	Contract Carriage Vehicles—	and (1) 400vc
(a)	Vehicle permitted to ply within the State as contract carriage having seating capacity of 13+1 or more.	Rs. 600 per seat per month.
(b)	Vehicles having seating capacity 13+1 or more and permitted to ply as contract carriage covered by "All India Tourist Permit" issued by Madhya Pradesh State under sub-section (9) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988.	Rs. 700 per seat per month.
(c)	Vehicles having seating capacity 13+1 or more and plying on contract on Special Permit granted by Madhya Pradesh under subsection (8) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988.	Rs. 180 per seat per month + spare/ reserve Motor Vehicle tax.

(1)

(2)

- (d) Vehicle permitted to ply as contract carriage covered by All India Tourist Permit issued by other State under sub-section (9) of Section 88 or Special permit issued under sub-section (8) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988—
 - (i) Seating capacity upto 12+1

Rs. 50 per seat per day

(ii) Seating capacity 13+1 or more

Rs. 200 per seat per week or part thereof.

- (e) Vehicle plying as contract carriage on a temporary permit granted under section 87 (1) (a) of the Motor Vehicles Act, 1988—
 - (i) If permit is granted by Madhya Pradesh State

Rs. 12 per seat per day + spare tax.

(ii) If permit is granted by other State

Rs. 50 per seat per day

(7) Rural Service Vehicle having seating capacity 3+1 upto 7+1 and is covered under Regular permit granted for rural transport service.

I percent of the standard price of vehicle till the validity of the rural permit.

Explanation 1.—The number of passengers which a vehicle is permitted to carry shall not include the driver and conductor of such vehicle and shall be the number of passengers which the motor vehicle is authorized to carry by the permit.

Explanation 2.—Tax specified in Items I, II and III of First Schedule shall be only for vehicle under temporary registration/temporary use in the State of Madhya Pradesh.

Explanation 3.—The distance permitted to be covered by a vehicle in a day in respect of which a permit is granted under the Motor Vehicles Act, 1988 shall be the distance authorized to be covered according to the permit in Madhya Pradesh.

Explanation 4.—Vehicles which are covered under regular rural permit shall not have to pay any further tax if they get their rural permit renewed in appropriate time. If they want to ply vehicle on route other than rural routes then difference between tax specified for that category of vehicle specified in Second Schedule and tax already paid, shall be leviable.

V. GOODS CARRIAGE—

- (1) On goods vehicle which was registered prior to the commencement of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014 and having registered laden weight 5000 kg or less, the tax shall be as per Item 6 of the Second Schedule.
- (2) On goods vehicle which was registered prior to the commencement of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014 and having registered laden weight more than 5000 kg, the tax.

	(1)		(2)
	shall be		
(Exceeds 5000 Kg but does no	ot exceed 6000 Kg	Rs. 6000 per annum
(thereafter for each 1000 Kg o	or part thereof	Rs. 1000 per annum
(3)	Goods Carriage of other States of which—	s, the registered laden weight	
(a)	oes not exceed 5000 kg		Rs. 4200 per annum
(b)	xceeds 5000 Kg but does not exceed	d 6000 Kg	Rs. 6000 per annum
(c)	dereafter for each 1000 Kg or part th	pereof	Rs. 1000 per annium
on the strength	on 1.—In respect of goods carriages of permit issued by that State and the tax shall be paid at the rate of se (3) above.	d countersigned by the State of	
of Madhya Pra	n 2.—In respect of goods carriage of esh under temporary permit for a pall be 1/12th of the tax payable per	period not exceeding one month,	
for temporary us the tax leviable Schedule then the	n 3.—On vehicle of other State broe, tax shall be leviable as per categor some category of vehicle of other tax shall be leviable as per categor dhya Pradesh specified in this Sched	ory specified in this Schedule. If er State are not specified in this ry and rate for the same category	
VI. PRIVA	TE SERVICE VEHICLE having seat	ing capacity exceeding 12+1.	Rs. 480 per seat per quarter.
VII. EDU	ATIONAL INSTITUTION BUS:		Rs. 12 per seat per annum
VIII. OTH	ER VEHICLES—	-	
(1) (a)	The vehicle covered under Trade certor temporary registration and having exceed 5000 Kg.	tificate (As chasis/goods carriage) g unladen weight which does not	Rs. 600 per quarter
(b)	hereafter for each 1000 Kg. or part	thereof.	Rs. 300 per quarter
(2)	The vehicle registered prior to Madhya Pradesh Motoryan Karadhar not covered in any category of this S	(Sanshodhan) Adhyadesh, 2014	_
(a)	Vehicle having unladen weight up	oto 3000 Kg,	Rs. 6000 per annum
(b)	thereafter for each 3000 Kg. or pa	art thereof	Rs. 2400 per annum

SECOND SCHEDULE

	SECOND SCHEDULE [See first proviso to sub-section (1) of Section 3]		
	Description of Motor Vehicle (1)	Rate of Life Time Tax (2)	
1. (a) Mo	1. (a) Motor cycle with or without attachment		
(b) Motor	cycle operated by Battery/CNG/LPG	5 % of the standard price of vehicle.	
2. Motor which is—	carlMotor cab (which includes invalid carriage) the standard price of	,	
(1)	Upto Rs. 15.00 lakh—		
(a)	Driven by Petrol or Diesel	7% of the standard price of vehicle.	
(b)	Hybrid vehicle	6% of the standard price of vehicle.	
(c)	Driven by Battery/CNG/LPG .	5% of the standard price of vehicle.	
(2)	Exceeding Rs. 15 lakh—	·	
(a)	Driven by Petrol or Diesel	8% of the standard price of vehicle.	
(b)	Hybrid vehicle	6% of the standard price of vehicle.	
(c)	Driven by Battery/CNG/LPG .	5% of the standard price of vehicle.	
3. Motor use or for com	Vehicle having seating capacity more than 6+1 upto 12+1 (for private mercial use)—	-	
(a)	Driven by Petrol or Diesel	8% of the standard price of vehicle.	
(b)	Hybrid Vehicle	6% of the standard price of vehicle.	
(c)	Driven by Battery/CNG/LPG	5% of the standard price of vehicle.	
4. Invalid	Carriage (Motor-Cycle)	Rs. 360	
5. Motor	Vehicle having seating capacity 3+1—		
(a)	Driven by Petrol or Diesel	7 % of the standard price of vehicle.	

	(1)	(2)
(b)	Hybrid Vechicle	6% of the standard price of vehicle
(c)	Driven by Battery/CNG/LPG	5% of the standard price of vehicle.

6. Vehicles having seating capacity between 3+1 and 12+1 registered as transport vehicle prior to commencement of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sarshodhan) Adhyadesh, 2014 which are paying quarterly/monthly Motor Vehicle Tax, the rate of life time tax shall be as follows:—

Type of vehicle		Upto three years old registered vehicle on the date of commencement of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014	More than three years old registered vehicle on the date of commencement of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014
(1)		(2)	(3)
(a) Seating capacit	y upto 3+1	3 % of the standard price of vehicle	2 % of the standard price of vehicle
(b) Seating capacit 3+1 and upto 6	•	4 % of the standard price of vehicle	3 % of the standard price of vehicle
(c) Seating capacit and upto 12+1	y more than 6+1	5 % of the standard price of vehicle	4 % of the standard price of vehicle

- 7. Goods carriage having registered laden weight 5000 Kg. or less and registered prior to the commencement of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014, the rate of life time tax shall be as follows:—
 - (a) Upto three years old registered vehicle on the date of commencement of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014.
- 4 % of the standard price of vehicle.
- (b) More than three years old registered vehicle on the date of commencement of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014.

3% of the standard price of vehicle.

8. Goods Carriage—

(a) Chasis

7% of the standard price

(b) With body built by the manufacturer

6% of the standard price

9. All such other new motor vehicles which are not covered in any of the 6% of the standard price category of vehicles specified in this Schedule.

-		
•		
		(3)
	/ 1 \	171

10. All such other motor vehicles which are not covered in any of the category of vehicles specified in this Schedule and registered prior to commencement of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014, the rate of life time tax shall be as follows:—

(a) Upto three years old registered vehicle on the date of commencement of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014.

4% of the standard price of vehicle.

(b) More than three years old registered vehicle on the date of commencement of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014.

3 % of the standard price of vehicle.

Explanation I.—On the date of making payment of life time tax under clauses 6, 7 and 10, there should not be any tax due on such vehicle. From the date of commencement of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sarishodhan) Adhyadesh, 2014 such categories of vehicles are barred from making monthly/quarterly tax.

Explanation 2.—The standard price of the vehicle means standard price realized by the dealer at the time of registration or the standard price of the said vehicle determined by the Transport Department at that time, whichever is higher.

Explanation 3.—For calculating the life time tax on the basis of the standard price of the above class of vehicle, the owner of the vehicle shall be required to produce sale receipt issued by the dealer at the time of registration. The standard price of the vehicle shall be the standard price payable in the Madhya Pradesh.

Explanation 4.—In respect of Battery/CNG/LPG driven vehicles the rate of tax shall be payable only when such vehicle is manufactured by the manufacturer as such.

Explanation 5.—Hybrid vehicle is the vehicle that uses two or more distinct power sources to move the vehicle. One of which should be CNG/LPG/NLG or Battery.

THIRD SCHEDULE [See Section 4]

Class of Vehicle	The manufacturer or dealer situated within Municipal Corporation	The manufacturer or dealer situated in the area other than Municipal Corporation
(1)	(2)	(3)
Motor Cycles/Two Wheeler	Rs. 10000 per annum	Rs. 6000 per annum
2. Any other vehicles	Rs. 18000 per annum	Rs. 12000 per annum

RAM NARESH YADAV Governor,

Madhya Pradesh.

Bhopal: Dated the 1st October, 2014.